रजिस्टर्ड

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः2/शा0/534/2014–4/200/95 लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2014

विषय ग्राम पंचायत अधिकारी संवर्ग को मोटर साइकिल भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः2398/33–1–2014–2398/2014 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के साथ संलग्न वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश सख्या जी–2–408/दस–2012–626–2000 दिनांक 16–11–2012 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारी संवर्ग को मोटर साइकिल भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 16–11–2012 में विहित प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कृपया ग्राम पंचायत अधिकारी संवर्ग को मोटर साइकिल भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में शासन के निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

18.11.14

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्याः2/शा0/534/1/2014 उक्तदिनांक

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अनु सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–1, उ0प्र0शासन को पत्र संख्या 2398/33–1–2014–2398/2014 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के क्रम में।

2– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उत्तर प्रदेश।

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

8/प्रशा0/534/2014

संख्या–2398/33–1–2014–2398/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉकः 05 नवम्बर, 2014

विषयः–ग्राम पंचायत अधिकारी संवर्ग को मोटर साइकिल भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2/1326/2014–4/200/95 संघ, दिनांक 10–7–2014 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के प्रत्यावेदन पर अपनी आख्या/अभिमत उपलब्ध न कराते हुए केवल उ0प्र0 ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के प्रत्यावेदन दिनांक 7–7–2014 की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी है।

2– इस संबंध में उ0प्र0 ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के प्रत्यावेदन दिनाक 1–9–2014 की संलग्नक सहित छाया प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश दिनांक 16–11–2012 में विहित प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(3467)

संलग्नक–यथोक्त।

उप निदेशक (पंचायत)

निदेशक
12/11/14

1032
12/11/14

13/11/14

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अनु सचिव।

संख्या जी–2–408 / दस–2012–626–2000

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
2–प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
3–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 16 नवम्बर, 2012

विषय: उत्तर प्रदेश, वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के अनुसार, वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–229 / दस–2000–626 / 2000 दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा किया गया था। इस संबंध में वेतन समिति 2008 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न स्तम्भ–3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ–4 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क0सं0	वाहन का नाम	वाहन भत्ते की वर्तमान दरें (रूपये प्रतिमाह)	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें (रूपये प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	मोटरकार (जहाँ औसत स्थानीय यात्रा 400 कि0मी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	800	1600
2	मोटर साईकिल / स्कूटर	350	700
3	मोपड	150	300
4	साईकिल	50	100

2– यदि किसी मामले में उक्त स्तम्भ–4 में अंकित दरों से ऊंची दर पर वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो तो उसे भी उपर्युक्त पुनरीक्षित दर पर ही वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

–2–

Scanned by CamScanner

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अपर जिला बचत अधिकारी के पदों का मोटर साईकिल/स्कूटर भत्ते की अनुमन्यता वाले कार्मिकों की श्रेणी में तथा चिकित्सा विभाग के अरबन मलेरिया/फाइलेरिया सवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साईकिल भत्ता की अनुमन्यता वाले कार्मिकों की श्रेणी मे सम्मिलित करते हुए उक्त कार्मिकों को पूर्व प्रस्तर–1 के अनुसार पुनरीक्षित दरों पर कमशः मोटर साईकिल/स्कूटर भत्ते तथा साईकिल भत्ता दिनांक 01 नवम्बर, 2012 से अनुमन्य होगा।

4– वाहन भत्ते की उक्त दरें केवल ऐसे मामलों में ही प्रभावी हैं, जिनमें सरकारी कार्य के हित में की जाने वाली यात्राओं हेतु उपरोक्त वाहनों को संतोषजनक स्थिति में रखे जाने की शर्त के अधीन वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो।

5– वाहन भत्ते की उक्त दरें उन सरकारी सेवकों को अपनी कोटि के अनुसार अनुमन्य होंगी जिन्हें वित्तीय नियम संग्रह की परिशिष्ट viii या शासन के वित्त विभाग की सहमति से/द्वारा स्वयं निर्गत किए गए आदेशों के अधीन वाहन भत्ता ग्राह्य हो।

6– वाहन भत्ते के संबंध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–82 तथा शासन द्वारा वाहन भत्ते की अनुमन्यता हेतु समय–समय पर निर्गत किए गए शासनादेशों को तदनुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उनमें निहित समस्त अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

7– वाहन भत्ते की उक्त पुनरीक्षित दरें दिनांक 01 नवम्बर,2012 से लागू होंगी।

भवदीय,
आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या–जी–2–408(1)/दस–2012–626–2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1)– महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2)– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
(3)– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3)– निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध, प्रशिक्षण शोध संस्थान, लखनऊ।
(4)– उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(5)– समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(बी0के0 सिंह)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 68 सा0 वित्त–21.11.2012–(2909)–1500+2 प्रतियां (आफसेट)।

Scanned by CamScanner